न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 348/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/508**
दायर दिनांक :– 20.12.2024 **निर्णय दिनांक :– 24.12.2025**

1. हनुमानराम पुत्र जुगताराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. जुगताराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. ईमरती पुत्री कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. नथूराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. बाबुराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. मोहनराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
5. हीराराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
6. हजारीराम पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7. हरदास पुत्र बरसीगा फौत हरदास पुत्र बरसीगा के कायम मुकाम

7/1 रमकू पत्नी हरदास जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7/2 हजारीराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7/3 बीरबलराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7/4 अर्जुनराम पुत्र हरदासस फौत के कायम मुकाम
7/4/1 शांति पत्नी अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7/4/2 अशोक पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7/4/3 भजनाराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7/4/4 उग्रसेन पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7/4/5 मदनलाल पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

8. गोपालराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
9. जुगताराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
10. मोहनी पुत्री जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
11. रामकिशन पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
12. सुगनी पुत्री जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
13. सेमी पुत्री जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
14. हुक्माराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

Satya
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की भूमि की खसरा नम्बर 121 रकबा 4.0064 हैक्टेयर तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121/2 रकबा 1.5783 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 7/1 ता 7/3 व 7/4/1 ता 7/4/5 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 8 ता 14 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्राथीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 उक्त वादग्रस्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना–अपना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है तथा इसी अनुसार ही इस भूमि में प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख जमाबंदी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 के नाम अलग–अलग रूप से दर्ज थी लेकिन नक्शा में सामलाती होने के कारण वर्तमान में पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से प्रार्थीगण को सूचित किये बगैर ही सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121/2 रकबा 1.5783 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 7/1 ता 7/3 व 7/4/1 ता 7/4/5 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 8 ता 14 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की नक्शा में तरमीम अपनी मनमर्जी से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 के कब्जा काश्त के विपरित जाकर कर दी। जबकि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 मौके पर कब्जा व कातश प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 121/2 रकबा 1.5783 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरूद्ध तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 15 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब में बताया कि ग्राम नेवा के खसरा नम्बर 121 रकबा 4.0064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/1

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/2 रकबा 1.5783 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम नेवा के खसरा नम्बर 121 रकबा 4.0064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/2 रकबा 1.5783 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है वर्तमान ऑनलाईन तरमीम सेग्रीकेशन योजना के तहत की गई है परन्तु खसरा नम्बर 121 के बट्टा नम्बर पारिवारिक बंटवाड़ा से दर्ज किये गये लेकिन नामान्तरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न पारिवारिक बंटवाड़ा की प्रति व नामान्तरकरण की प्रति पेश नहीं की है जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पारिवारिक बंटवाड़ा के संलग्न नजरी नक्शा में तरमीम किस प्रकार अंकित की गयी है। दूसरे पटवारी हल्का की रिपोर्ट में नोट अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 121/4 के कब्जा अनुसार रकबा पूर्ण नहीं हो रहा है। विवादग्रस्त खसरान की भूमि तरमीम वर्तमान में किस प्रकार अंकित है जिसका नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट में अंकित नही किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)